5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निग – 3285-PBR/16

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश , ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक:- /2015-16/रिवीजन

१- सत्यभान सिंह पुत्र स्व0 श्री मुन्शी सिंह

२- श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री वकील सिंह एंव पुत्री स्व0 श्री मुन्शी सिंह जाति - गुर्जर निवासीगण - ग्राम गिरगांव तहसील व जिला - ग्वालियर हाल निवास गोशपुरा हजीरा जिला ग्वालियर (म0 प्र0) ।

------ निगरानी कर्तागण

बनाम

१- श्रीमती प्रेमा गुर्जर पत्नी श्री भीकम सिंह ,

२- श्रीमती शीला गुर्जर पत्नी श्री केशव सिंह,

३- श्रीमती पुष्पा गुर्जर पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह गुर्जर निवासीगण - ग्राम - गिरगांव परगना व जिला - ग्वालियर (म0प्र0) ।

४- सीताराम पुत्र श्री प्रीतम सिंह निवासी - ग्राम - गिरगांव तहसील व जिला - ग्वालियर (म0प्र0)

----- प्रतिनिगरानी कर्तागण

श्री रणवीर सिंह एड0 द्वारा प्रस्तुत

अधि.की.लिपि. 23/09/2016

श्री रणवीर सिंह आभि0 द्वारा आज दि 23.9.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23/9/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिवीजन, धारा 50 अन्तर्गत म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959, विरूद्ध पारित अधीनस्थ न्यायालय विद्वान अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र मुरार सिटी , जिला - ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/14-15/अपील में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 22-8-2016 से व्यथित होकर के ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3285–पीबीआर/2016 [मध्यभा0/प्रमा] **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.10.16	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22–8–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश से अनावेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार किया गया है और उक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावजों पर आवेदकगण का खण्डन साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक आदेश है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	